

-1-

37

**न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर**

प्र.कं. / 2012 पुनरीक्षण

R - 3722 - II/12

श्यौजी दत्तक पुत्र स्व. प्रहलाद

निवासी ग्राम अजापुरा तहसील व जिला

श्योपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

श्री. मुकेश भास्करि, कोटा

दस्तावेज दि. 30-10-12

प्रस्तुत

कॉ. 30/10/12

दस्तावेज दि. 30-10-12

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1. मांगीबाई पुत्री स्व. प्रहलाद पत्नी गुलाबचंद निवासी ग्राम सनमान पुरा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राजस्थान)
2. गीता बाई पुत्री स्व. प्रहलाद पत्नी रतनलाल निवासी ग्राम पानडी तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)
3. संतोष बाई पुत्री स्व. प्रहलाद पत्नी मूडीलाल निवासीग्राम राधापुरा तह. बडौदा जिला श्योपुर (म.प्र.)
4. म.प्र. शासन (प्रोफार्मा पक्षकार)

..... अनावेदकगण

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा प्र.कं. 93/2011-12/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 07.8.12 के विरुद्ध म.प्र. मू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण**

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि -

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

## राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 3722-एक/2012 निगरानी

जिला श्योपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश   | पक्षकारों एवं अभि० के हस्ता. |
|------------------|--|------------------------------|
| 4-5-16           | <p>यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 93/11-12 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 07-8-12 के विरुद्ध म०प्र०भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई, जिसके द्वारा अनावेदकगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष ग्राम पंचायत अजापुरा की नामान्तरण पंजी क्रमांक 23 में पारित आदेश दिनांक 20.7.2010 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है एवं अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 7.8.12 से प्रकरण पंजीबद्ध करने का तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब करने का निर्णय लिया है।</p> <p>3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में व्यक्त किया है कि अनुविभागीय अधिकारी को नामान्तरण आदेश दिनांक 20-7-10 के विरुद्ध दिनांक 7-8-12 को प्रस्तुत अपील को दर्ज नहीं करना था अपितु उन्हें समयवधि के बिन्दु पर अपील निरस्त कर देना चाहिये थी।</p> <p>4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं निगरानी मेमो में अंकित आधारों के अवलोकन से स्थिति यह है कि आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अनुविभागीय अधिकारी ने 2 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत अपील को सुनवाई में लिया है । अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 7-8-12 के अवलोकन से पाया गया कि उन्होंने अपील सुनवाई हेतु दायर कराई है अवधि विधान की</p> |                              |



L  
1/16

AM

प्र0क0 3722-एक/2012 निग0

धारा-5 पर अथवा विलम्ब पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया है अपितु अनुविभागीय अधिकारी का आदेश पत्रिका दिनांक 17-12-12 के अवलोकन से पाया गया कि उनके अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन तक तर्क हेतु प्रकरण आगामी तिथि में नियत किया है। विलम्ब के सम्बन्ध में जो आपत्ति आवेदक के अभिभाषक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हें तदाशय की आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सुनवाई योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जाय तथा प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

  
सदस्य